सं.212/9/2005-एफएम
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 31 दिसम्बर, 2005

आदेश

जबकि माननीय टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एवं अपीलेट ट्रिब्यूनल (दूरसंचार विवाद अधिनिर्णय एवं अपीलीय अधिकरण) ने दिनांक 16.8.2005 को "मैसर्स मिलेनियम मुंबई ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य" के मामले में 2005 की याचिका सं.49(सी)(2005 का एम ए सं. 137 तथा 173) में अंतरिम निदेश पारित किया था कि प्रतिवादी एफएम रेडियो आवृत्ति यानी 94.6 मेगाहर्टज की नीलामी नहीं करेगा और न ही मुंबई में उक्त स्पेक्ट्रम में 4 से अधिक स्लॉट की नीलामी करेगा।

और जबकि उसी मामले में दिनांक 3.10.2005 के अपने आदेश में टी डी एस ए टी ने यह भी निदेश दिया था कि नई नीति के तहत याचिकाकर्ता स्थायी लाइसेंस शुल्क प्रणाली से राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली में जाने के फायदे के हकदार होंगे जो वर्तमान लाइसेंस धारकों को यह फायदा प्रदान करता है।

और जबकि प्रतिवादी अर्थात भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मुंबई के 5 एफएम चैनलों सहित पूरे देश के 91 शहरों में 338 एफएम चैनलों के लिए पूर्व अर्हता बोलियां आमंत्रित करने के लिए दिनांक 21.9.2005 को निविदा मूल्य जारी किया गया था।

और जबकि याचिकाकर्ता द्वारा टी डी एस ए टी के समक्ष 2005 के याचिका संख्या में एक अन्य एम संख्या 2005 का 242 दाखिल किया गया था जिस पर टी डी एस ए टी ने अपने दिनांक 12.12.2005 के आदेश में अंतरिम निदेश पारित करते हुए प्रतिवादी को दिनांक 21.9.2005 को जारी निविदा में अंतिम निर्णय लेने से रोका था जिससे अधिकरण के आदेश का उल्लंघन हो सकता था।

और जबकि निविदा दस्तावेज की धारा 1.2.1 के अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि यह किसी भी शहर के लिए चैनलों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है तथा किसी भी समय शहरों की संख्या में भी परिवर्तन कर सकता है।

अत: अब माननीय टी डी एस ए टी के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में एतद्‌वारा यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक 6 जवरी, 2006 को निर्धारित निविदा प्रक्रिया में इस आवृत्ति अर्थात 94.6 मेगाहर्टज को मामले के लंबित रहने तक बोली में शामिल नहीं किया जाएगा और वर्तमान में मुंबई शहर के लिए केवल चार एफएम रेडियो स्लॉट/चैनलों का आबंटन किया जाएगा। सभी अर्ह आवेदक इस आदेश की विषयवस्तु को ध्यान में रखें।

(आर. के. गोयल)
निदेशक
टेलीफोन : 23381246

मैसर्स मिलेनियम मुंबई ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
215, शाह एवं नहर इस्टेट, डॉ. ई. मोसेस रोड
वर्ली नाका, वर्ली, मुंबई (महाराष्ट्र)-400018

प्रतिलिपि :

ए+ श्रेणी के शहरों के लिए सभी अर्हता प्राप्त आवेदकों को मंत्रालय के वेबसाइट के माध्यम से।

(आर. के. गोयल)
निदेशक (बीपी एंड एल)